बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०–2/आर०–235/2026– **/स्वा०, पटना, दिनांक / /2026**

डा० श्वेता सिंह, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (स्त्री रोग) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, धनरूआ, पटना के दिनांक–22.10.2024 से 27.12.2024 तक पदस्थापन की प्रतिक्षा अवधि को निम्नरुपेण विनियमित किया जा सकता है :–

(i)	दिनांक–22.10.2024 को	– असाधारण अवकाश के रुप में (बिहार सेवा संहिता के नियम–236)।
(ii)	दिनांक–23.10.2024 से 27.12.2024 तक	– पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में (स्वास्थ्य विभाग में)।

2.प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–2/आर०–235/2026– 2648(2) पटना, **दिनांक** 5/11/**2026**

प्रतिलिपि :महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना/ प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, धनरूआ, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना/डा० श्वेता सिंह, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (स्त्री रोग) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, धनरूआ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।